न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 103/2023

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. भेराराम पुत्र खेराजराम
2. कसुम्बी पत्नि रामाराम
3. खेमाराम पुत्र रामाराम
4. जुगताराम पुत्र रामाराम
5. जोगाराम पुत्र नगाराम
6. दमाराम पुत्र नगाराम
7. दलाराम पुत्र खेराजराम
8. पेम्पोदेवी पत्नि रामाराम
9. पूरोदेवी पत्नि नगाराम
10. भूराराम पुत्र अर्जूनराम
11. भंवराराम पुत्र अर्जूनराम
12. रूखमणाराम पुत्र रामाराम
13. राजूराम पुत्र अर्जूनराम
14. कसुम्बी पत्नि गंगाराम (फौत कायमुकाम वादी संख्या 16 से 8)
15. गंगाराम पुत्र गंगाराम (फौत कायमुकाम वादी संख्या 16 से 18)
16. मोतीराम पुत्र गंगाराम
17. सोनाराम पुत्र हनुमानराम
18. रघुवीर पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. शंकराराम पुत्र हुकमाराम
2. मलाराम पुत्र तिलाराम जाति भील निवासी डाबड़ भाटियान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
3. जालमसिंह पुत्र जोरसिंह
4. भगवानसिंह पुत्र बांकसिंह
5. रतनसिंह पुत्र जोरसिंह
6. राणसिंह पुत्र शिवसिंह राजपूत निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. वीरोदेवी पत्नि पांचाराम
8. बाबूलाल पुत्र पांचाराम
9. पताराम पुत्र पंचाराम
10. बींजाराम पुत्र पांचाराम
11. आईदानराम पुत्र पांचाराम
12. गंगाराम पुत्रचुतराराम
13. अणदाराम पुत्र चुतराराम
14. अणदाराम पुत्र चुतराराम
15. गंगाराम पुत्र चुतराराम
16. तुलसाराम पुत्र प्रहलादराम
17. [illegible] पुत्र प्रहलादराम
18. [illegible] पुत्र प्रहलादराम जातियान [illegible]मेगवाल निवासीयान [illegible]देवरा तहसील सिणधरी जि[illegible]र
19. चौखाराम पुत्र भीयाराम
20. दुर्गाराम पुत्र रूपाराम
21. निम्बाराम पुत्र रूपाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

22. भैराराम पुत्र रूपाराम

23. पारसराम पुत्र पुनमाराम

24. गोमाराम पुत्र पूनमाराम

25. मोटाराम पुत्र पुनमाराम जातियान जाट निवासीयान निम्बली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

26. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –07.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 17 रकबा 11.3665 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 17 रकबा 11.3665 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:09 IST
Reason: SelfAttested

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 17 रकबा 11.3665 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 17 रकबा 11.3665 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 17 रकबा 11.3665 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 17 रकबा 11.3665 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी